



आलोक मेहता

विंडबना यह है कि बड़े घोटालों और महत्वपूर्ण अदालती फैसलों के साथ इस व्यवस्था में रहकर ईमानदारी से काम करने वालों पर सरकारों तथा समाज द्वारा ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता। मुझे स्वयं इस बात का अफसोस है कि 1990 में 23 वर्ष पहले चारा कांड के दस्तावेज की फाइल देने वाले ईमानदार अधिकारी का नाम-पता अब मुझे याद नहीं है।

अपराधों की आंधी में ईमानदार छटाने

आधी की राह और मंजिल तय नहीं होती। अपराध बड़े हों या छोटे- नतीजों का अंदाज अपराधियों को नहीं होता। सत्ता के मद में मनमानी और भ्रष्टाचार के परिणामों की परवाह नेताओं को नहीं हो पाती। पराकाष्ठा यह होती है कि घोटालों के दौरान बहुमूल्य हस्ताक्षर के बाद नेता खुद भूल जाते हैं कि उन्होंने किस फाइल पर मुहर लगाई। यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव और डॉ. जगन्नाथ मिश्र की मंडली को जेल होने के बाद उनकी पत्नी राबड़ी देवी एवं नजदीकी नेता भ्रष्टाचार के प्रमाणों और जेल की सजा को षडयंत्र की संज्ञा दे रहे हैं। बिहार में 15 वर्ष और राष्ट्रीय राजनीति में भी 20 वर्षों तक अंधी-तूफान की तरह उखाड़-पछाड़ करने वाले लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। सजा के बाद श्रीमती राबड़ी देवी पत्रकारों से सवाल कर रही थीं कि 'तुमने सबूत देखे हैं? लालूजी ने कोई गडबड नहीं की। वह तो षडयंत्रपूर्वक उन्हे फंसाया गया है।'

संभव है भली और निष्ठावान पत्नी के नाते राबड़ीजी को चारा कांड के कारनामों और सबूतों की जानकारी नहीं हो। लेकिन उन्हें और लालूजी के पुत्र-पुत्रियों तथा समर्थकों को अदालत में पेश सबूतों तथा लालूजी के मुख्यमंत्री काल में सार्वजनिक हुई सूचनाओं-खबरों को ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। लोकतंत्र में जेलयापत्ता व्यक्ति के परिजनों को भविष्य में ईमानदार सत्ता की राजनीति का हक सदा रहता है। जहां तक राजनीतिक षडयंत्र और मीडिया के पूर्वग्राह की बात है, 1990 में पहली बार चारा कांड का 'भंडाफोड़' होने पर इसे मीडिया का षडयंत्र ही कहा था। राजनीतिज्ञों और भोली-भाली जनता की सृष्टि छोटी हो सकती है, लेकिन प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दर्ज रिकार्ड दशकों तक महत्वपूर्ण रहता है। 'चारा कांड' के प्रारंभिक रहस्योदयाटन में छोटी भूमिका मेरी भी रही है। इसकी दास्तां भी दिलचस्प है। लालू प्रसाद यादव मार्च 1990 में मुख्यमंत्री बने थे। इसके लगभग 6 महीने बाद उनकी सरकार के एक अधिकारी ने मुझसे संपर्क किया। तब मैं दैनिक नवभारत टाइम्स के पटना संस्करण का संपादक था। इस ईमानदार अधिकारी ने मेरे दफ्तर आकर पशुपालन विभाग में भारी अनियमितता, भ्रष्टाचार के तथ्यों के पचासों दस्तावेजों की फाइल सामने रख दी। कई पत्रों में स्वयं लालू प्रसाद यादव द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के संरक्षण की बातें भी दर्ज थीं। गरीब लोगों को जीवन-यापन के लिए गाय, बैल, भैंस, बकरी और उनके लिए दाने-पानी के नाम पर करोड़ों की हेराफेरी का मामला सामने था। जानवर भेजने के लिए इस्तेमाल की गई गडियों के फर्जी नंबर थे, जिससे यह सवित्र होता था कि गरीबों देने की केवल कागजी कार्रवाई हुई। आलम यह था कि रजिस्ट्रेशन नंबर के एक ट्रक पर नौ सौ गाय भैंसे भेजना दिखा दिया, तो एक स्कूटर पर दो-चार सौ बकरियां लादकर भेजने का रिकार्ड बना दिया। नवभारत टाइम्स में हमने 10 अक्टूबर 1990 को पहली बार यह रिपोर्ट छाप दी। हंगामा हो गया। सत्तारूढ़ लालूजी के समर्थकों ने टाइम्स समूह की प्रिंटिंग प्रेस पर हल्ला बोल आग लगा दी। समय रहते आग बुझा दी गई। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव हमारे संपादकीय कार्यालय पर आए तथा खेद जाताया। वैसे कहा कि इस हमले की जानकारी उन्हें नहीं थी। बहरहाल, सरकार व समर्थकों का पक्ष छापते रहने के साथ हम अन्य तथ्यों की रिपोर्ट छापते रहे। मुख्यमंत्री का कार्यकाल का एक वर्ष पूरा होने पर 10 मार्च 1991 को मैंने पहले पृष्ठ पर फिर विस्तार से लिखा- 'भ्रष्टाचार को ढंकने में ऐसे कामयाब हुए लालू' लेकिन तब भी संपादकीय निष्पक्षता के नाते हमने अंदर लालू यादव से हुई बातचीत को फोटो के साथ पूरा एक पृष्ठ दिया तथा एक और पन्ना उनकी सरकार की समीक्षा को दिया। जून 1991 में मैं तो वापस नवभारत टाइम्स के दिल्ली कार्यालय में आ गया। लेकिन चारा कांड अखबारों में सुर्खियां बनता रहा। बाद में प्रभात खबर ने भी इसे तथ्यों के आधार पर बड़ा मुद्दा बनाया। अज्ञे और राजनेद्वारा माथुर की निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के मूल्यों को मानने वाले पत्रकारों की संख्या बिहार ही नहीं हिंदीभाषी कई प्रदेशों और दिल्ली में है। राजनीतिक अंधियों में यही पत्रकारिता के दस्तावेज की छटान की फाइल देने वाले ईमानदार अधिकारी का नाम-पता अब मुझे याद नहीं है। संभवतः वह सेवानिवृत हो चुके होंगे। फिर उनके अलावा कितने ही अधिकारियों (सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिन्दर सिंह सहित) और रामांशकर प्रसाद जैसे नेताओं ने ईमानदारी से चारा कांड के पूरे घोटाले को न्यायालय से दंड की स्थिति तक पहुंचाया। लेकिन उन्हें इसका समुचित त्रैय नहीं मिला। केदारनाथ के मंदिर को भारी तूफान से बचाने वाली चट्टान की पूजा-अर्चना बराबर हो रही है, लेकिन जीवित ईमानदार चट्टानों पर पर्दा है। यही नहीं भाजा पाज इस मुद्दे पर खुश हो रही हो, लेकिन यह भूल रही है कि 1997 से 2013 तक इस कांड में बचाव की बड़ी भूमिका उनके अपने राम जेठमलानी की रही। एक वकील के नाते ही नहीं देश के कानून मंत्री के नाते भी जेठमलानीजी ने सदा लालूजी का साथ दिया। इसे पार्टी 'प्रोफेशनल ईमानदारी' की संज्ञा देती है। कांग्रेस के वर्तमान कानून मंत्री कपिल सिंहल भी कभी लालू के वकील रहे और हाल के 'अध्यादेश कांड' में लालू को बचाने की कोशिश के आरोप उन पर भी लगे। कांग्रेस या भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने क्या सत्ता में रहते हुए चारा कांड के अपराधियों को जल्दी सजा दिलवाने की कोई कोशिश की? विश्वनाथ प्रताप सिंह, चन्द्रशेखर, इंदर कुमार गुजराल और डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री रहते हुए क्या घिरेपिटी व्यवस्था को तोड़कर गरीबों का 950 करोड़ रुपया हजार करने वालों को समय पर दंडित करने की व्यवस्था 'फास्ट ट्रायल कोर्ट' बनाकर नहीं हो सकती थी? देश को सांप्रदायिक और आतंकवादी आग में डालने वाले 'बाबरी मस्जिद विघ्नस कांड' के दोषियों को जल्दी सजा दिलवाने में भी क्या किसी प्रगतिशील नेता ने कोशिश की? अब भी सुरेश कलमाडी, और ए. राजा जैसे नेताओं को समय रहते दंड और न्याय दिलाने की पहल को कौन रोक सकता है?

alokmehta7@hotmail.com